

कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास) जिला-कोरबा (छ.ग.)

-//द्वितीय निविदा आमंत्रण//-

//संक्षिप्त निविदा सूचना का प्रारूप//


निविदा विज्ञप्ति क्रमांक...१९१३..... दिनांक ..१३.०१.२०१६  
महिला एवं बाल विकास विभाग जिला- कोरबा की ओर से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (वर्ष 2015-16) के तहत सामुहिक विवाह कार्यक्रम हेतु विवाह/उपहार सामग्री एवं टेंट कैटरिन व्यवस्था के लिए इच्छुक अधिकृत विक्रेताओं/निविदादाताओं से बंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला प्रकोष्ठ-कोरबा के कार्यालय से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रू. 1000/- (एक हजार रुपये मात्र) को 0235-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 08-अन्य प्राप्ति में चालान की मूल प्रति दिनांक 04.02.2016 तक प्रस्तुत कर कार्यालयीन समय में (10:30 से 05:30 बजे तक) प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा के प्रारूप एवं शर्तें राज्य स्तरीय वेबसाईड [www.cgstate.gov.in](http://www.cgstate.gov.in) एवं जिले की वेबसाईड [www.korba.gov.in](http://www.korba.gov.in) से देखे जा सकते हैं ।

निविदा प्रपत्र बिक्री की अंतिम तिथि	04.02.2016	समय 5:00 बजे अपरान्ह
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	06.02.2016	समय 03:00 बजे अपरान्ह
निविदा खोलने की तिथि	06.02.2016	समय 4:00 बजे अपरान्ह

सलग्न:- निविदा के प्रारूप एवं शर्तें

स्थान :- कार्यालय जिला कलेक्टोरेट परिसर जिला-कोरबा

(कलेक्टर महो. द्वारा अनुमोदित )

  
जिला कार्यक्रम अधिकारी  
महिला एवं बाल विकास  
जिला प्रकोष्ठ-कोरबा (छ.ग.)

# कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास) जिला-कोरबा (छ.ग.)

//निविदा एवं शर्तें//

क्र./ 1914 /मबावि/लेखा/2015-16

कोरबा दिनांक 23/01/2016

महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कोरबा (छ.ग.) अन्तर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम में "उपहार सामग्रियों के क्रय एवं टेन्ट/कैटरिंग कार्य" के लिए अधिकृत विक्रेता/सप्लायर/निविदादाताओं से मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना हेतु उपहार सामग्री एवं टेन्ट/कैटरिंग कार्य हेतु निविदा आमंत्रित किये जाते हैं। उपहार सामग्री भाग 'क' एवं कैटरिंग व्यवस्था को भाग 'ख' के तहत रखा गया है निविदा की शर्तें निम्नानुसार हैं:-

## 01. भाग 'क' उपहार सामग्रियों का विवरण हेतु शर्तें -

क्र.	सामग्री का विवरण
1.	<b>कपड़ा सेट:-</b> 1 पैजामा सफेद/क्रीम कलर (नाड़ा सहित), 1 फूल आस्तीन कुर्ता सफेद/क्रीम, 1 पीले रंग का दुल्हा साफा, 1 दुल्हा पगड़ी लाल रंग, 1 सफेद नेपकीन जेन्ट्स, 1 सफेद नेपकीन लेडीस 1 दुल्हन साड़ी(लाल/मेहरून), 1 पेटीकोट नाड़ा सहित मध्यम साईज, 1 सिला हुआ ब्लाउज मध्यम बटन सहित, 1 गाउन सहित चुनरी, 1 जोड़ी लेडिज चप्पल सूती मोजा सहित, 1 जोड़ी जेन्ट्स जूता सूती मोजा सहित । (सभी सामग्री का सेट 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लिखा एक मजबूत थैला में दिया जाना होगा) टीप:- लेडीज जुता एवं जेन्ट्स जुते का साईज परिवर्तनीय रहेगा। <b>श्रृंगार सामग्री:-</b> 1 चांदी का मंगलसूत्र(75 टंच का), 1 वर मौर मुकुट, 1 वधु मौर मुकुट, 12 नग चुड़ी, 100 एमएल का कोकोनट पैराशुट आयल, 1 पैकेट सिन्दुर, 100 ग्राम का ब्रान्डेड फेस पाऊडर, 1 गन कंघी, 2 नग फलवारी क्लीप, 1 बेनी-बक्कल, 1 सेप्टी पिन, 1 लिप्सटिक लाल रंग, 1 पत्ता लालबिंदी, 1 सीसी नेल पॉलिस ब्रान्डेड कम्पनी, 75 ग्राम का फेस क्रीम ब्रान्डेड, 100 ग्राम आलता, 2 नग कोन मेंहदी, 1 काजल डिबिया, 01 श्रृंगार बाक्स दर्पण युक्त (सामग्री का सेट 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत' प्रदत्त लिखा एक बाक्स में दिया जाना होगा) । कपड़ा सेट एवं श्रृंगार सामग्री हेतु व्यय सीमा 2500/- (दो हजार पांच सौ रूपये मात्र) होगी।
2.	<b>अन्य सामग्री :-</b> 1 नग सूटकेश(साईज 22 इंच), 1 सेट क्वार्टर्ज (पेयर) कलाई घड़ी बैटरी सहित, 1 नग टार्च बैटरी सहित, 1 नग गद्दा रूई का (3X6), 2 तकिया (2X1), 2 कॉटन रंगीन चादर (3X6), 1 नग टेबल पंखा-16इंच ब्रान्डेड कम्पनी तीन पत्ती वाली)

## 02. भाग 'ख' टेन्ट, कैटरिंग एवं फ्लावर व्यवस्था :-

क्र.	सामग्री का विवरण
1	<b>टेन्ट कार्य हेतु:-</b> इस कार्य में मंच पर मेट पर्दा, कुलर, फ्लावर डेकोरेशन, 5 नग सोफा कुशन सहित, कुर्सियां, टेबल क्लाथ सहित, विवाह बेदी एक लोटा एवं बाल्टी सहित तैयार करना, साऊन्ड सिस्टम कार्डलेस-माईक सहित की व्यवस्था, फोटोग्राफर, बैड पार्टी, फटाका, वर माला(प्रति जोड़े 02 नग) उक्त व्यवस्था निविदादाताओं को करनी होगी। <b>कैटरिंग कार्य हेतु:-</b> कन्या, वर सहित प्रति जोड़े 20 परिजनों के लिए नाश्ते व सुपाच्य व ताजी भोजन तथा चाँवल, दाल, सब्जी, मिठी बुंदी

लड्डू(प्रति व्यक्ति 02 नग) चटनी, पापड़, अचार, पेयजल इत्यादि आगन्तुकों के लिए नाश्ता, पेयजल, भोजन की सप्लाई एवं परोसने की व्यवस्था निविदादाताओं को करनी होगी । इस कार्य हेतु शासन द्वारा निर्धारित दर/स्वीकृत निविदा दर के अनुसार व्यय की भुगतान की जावेगी । अधिकतम व्यय सीमा टेन्ट एवं कैटरिन कार्य हेतु रूपये 2250/- (दो हजार दो सौ पचास रूपये मात्र) होगी।


03. निविदादाता फर्म को स्वयं के फार्म का नाम-पता वाली स्टीकर लगा नमूना सामग्रियों का 01 सेट, मुहरबंद लिफाफे में दर एक साथ कार्यालय को निर्धारित तिथि-समय तक इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।
04. पूर्व में प्रस्तुत निविदादाता द्वारा आवेदन पत्र हेतु पृथक से शुल्क जमा किया जावेगा जिसकी प्रति लिफाफा 'अ' के साथ प्रस्तुत करना होगा।
05. उपहार सामग्री एवं टेन्ट-कैटरिंग व्यवस्था हेतु पृथक पृथक निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
06. निविदा दर में सभी "कर" सम्मिलित कर प्रस्तुत करना होगा, स्वीकृत निविदा दर के अतिरिक्त अन्य कोई स्वत्व देय नहीं होगी ।
07. निविदा जिला स्तरीय विभागीय क्रय समिति के द्वारा खोली जायेगी जिसमें निविदादाता स्वयं/प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं, प्रतिनिधि को निविदादाता से प्रतिनिधि नियुक्त करने वाला पत्र प्रस्तुत करना होगा । प्रस्तुत नहीं करने के स्थिति में निविदा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
08. उपहार सामग्री एवं श्रृंगार सामग्री हेतु प्रस्तुत निविदाकार को अधिकृत विक्रेता या अधिकृत सप्लायर का प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
09. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के स्थिति में सूचित किया जायेगा जिसके 07 दिनों के अन्दर 50/- के नानज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर में यह करार सम्पादित करके देगा कि जिला कार्यक्रम अधिकारी अथवा जिला क्षेत्र के किसी भी परियोजना अधिकारी के द्वारा कार्यदेश जारी करने पर निर्धारित अवधि के अन्दर निर्दिष्ट स्थान पर आदेश संख्या में सामग्री आपूर्ति करेगा तथा ऐसा नहीं करने पर विभाग अन्यत्र क्रय करने हेतु स्वतंत्र होगा साथ ही मेरे द्वारा जमा की अमानत राशि राजसात करके काली सूची में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।
10. निविदादाता फर्म द्वारा प्रदायित सामग्रियों का भौतिक सत्यापन जिला स्तरीय क्रय समिति के द्वारा किया जायेगा । भौतिक सत्यापन में सेम्पल से आपूर्ति हुए सामग्री का मिलान नहीं होने पर क्रय समिति द्वारा राशि में कटौती किये जाने या सामग्री मूलतः लौटाये जाने का निर्णय लिया जा सकेगा जो निविदादाता को मान्य होगा ।
11. निविदादाता को निविदा लिफाफा के साथ सेम्पल किट प्रस्तुत करना होगा जिसका अवलोकन क्रय समिति के द्वारा किया जायेगा । सेम्पल की वापसी नहीं होगी और न ही उसका कीमत देय होगा ।
12. आवश्यकता और उपलब्ध आबंटन के आधार पर मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है ।
13. प्रपत्र-'ब' हेतु प्रस्तुत सामग्री के लिए प्रपत्र-'अ' में निविदादाता को अमानत राशि के रूप में राशि रू. 1,40,000/- का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी ड्राफ्ट (बी.डी./डी.डी) जो जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास कोरबा के पक्ष में जारी हुआ हो इस राशि का ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र के लिफाफा 'अ' के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।
14. एक निविदादाता का एक ही निविदा स्वीकार किया जायेगा एक ही निविदादाता का दो या अधिक निविदाएं प्राप्त होने पर उस निविदादाता के सभी निविदाएं अस्वीकार व निरस्त किया जा सकेगा ।
15. जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कोरबा या कोरबा जिले के किसी भी बाल विकास परियोजना अधिकारी के द्वारा सफल निविदादाता को कार्यदेश जारी किया जायेगा तथा समय-सीमा में वांछित आपूर्ति/कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा । ऐसा नहीं करने पर विभाग नया

- कार्यदेश उपलब्ध बाजार को जारी कर आपूर्ति/कार्य पूर्ण करायेगा तथा अधिक व्यय की वसूली नियमानुसार संबंधित निविदादाता से किया जा सकेगा तथा निविदादाता को काली सूची में रखे जाने व अमानत राशि राजसात किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी ।
16. निविदादाता को कार्य पूर्ण होने के बाद आबंटन उपलब्धता अनुसार देयकों का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा । सफल निविदाकार को किसी भी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा ।
  17. निविदा प्रस्तुत करने पर यह माना जायेगा कि निविदादाता को निविदा की सभी शर्तें मान्य व स्वीकार्य हैं ।
  18. सफल निविदादाता को कार्यदेश जारी करने वाले विभागीय अधिकारियों से समन्वय पर कार्य करना होगा तथा विवाद की स्थिति में कलेक्टर कोरबा का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा ।
  19. जिले अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किसी भी परियोजना अन्तर्गत विवाह आयोजन होने पर निविदा में स्वीकृत दर के अनुसार ही आयोजना व्यय किया जावेगा।
  20. उपहार सामग्री, श्रृंगार सामग्री एवं अन्य सामग्री हेतु निविदादाता को दो लिफाफा में निविदा प्रस्तुत करना होगा प्रथम लिफाफा प्रपत्र 'अ' में तकनीकी अर्हता एवं द्वितीय लिफाफा प्रपत्र 'ब' में वित्तीय दर प्रस्तुत करना अनिवार्य है प्रपत्र 'अ' के अनुसार समस्त दस्तावेज जैसे पिछले 02 वर्ष का आयकर विवरणीय (वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15), वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी पंजीयन नम्बर, अमानत राशि रू 1,40,000/- (एक लाख चालीस हजार मात्र), जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र का पंजीयन, नगरीय निकाय/ग्रामीण निकाय द्वारा जारी जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी कर चुकता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप में स्वीकार्य होगी, चालान की प्रति मान्य नहीं होगी), निविदादाता को अधिकृत विक्रेता का प्रमाण पत्र या उक्त सामग्री सप्लायर का पत्र एवं आवेदन शुल्क की पावती(चालान) संलग्न करना अनिवार्य होगा । लिफाफा 'अ' का तकनीकी अर्हता पूर्ण करने वाले फर्मों का प्रपत्र 'ब' वित्तीय दर खोला जावेगा अन्यथा नहीं ।
  21. वाणिज्यिकर विभाग का कर चुकता प्रमाण पत्र विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में ही मान्य होगा। चालान की प्रति मान्य नहीं होगी।

#### टेन्ट व्यवस्था एवं कैटरिंग व्यवस्था हेतु:-

01. टेन्ट कार्य में टेन्ट सहित मेट पर्दा प्रति वर्ग फीट कार्य का दर प्रस्तुत करना होगा, चूंकि यह शासकीय आयोजन है । टेन्ट कार्य हेतु:- इस कार्य में मंच पर मेट पर्दा, कुलर, फ्लावर डेकोरेशन, 5 नग सोफा कुशन सहित, कुर्सियां, टेबल क्लथ सहित, विवाह बेदी एक लोटा एवं बाल्टी सहित तैयार करना, साऊन्ड सिस्टम कार्डलेस-माईक सहित की व्यवस्था, फोटोग्राफर, बैड पार्टी, फटाका, वर माला(प्रति जोड़े 02 नग) उक्त व्यवस्था निविदादाताओं को करनी होगी।
02. कैटरिंग कार्य हेतु:- कन्या, वर सहित प्रति जोड़े 20 परिजनों के लिए नाश्ते व सुपाच्य व ताजी भोजन तथा चाँवल, दाल, सब्जी, मिठी बूंदी लड्डू(प्रति व्यक्ति 02 नग) चटनी, पापड़, अचार, पेयजल इत्यादि आगन्तुकों के लिए नाश्ता, पेयजल, भोजन की सप्लाय एवं परोसने की व्यवस्था निविदादाताओं को करनी होगी । इस कार्य हेतु शासन द्वारा निर्धारित दर/स्वीकृत निविदा दर के अनुसार व्यय की भुगतान की जावेगी ।
03. अधिकतम व्यय सीमा टेन्ट एवं कैटरिंग कार्य हेतु रूपये 2250/- (दो हजार दो सौ पचास रूपये मात्र) होगी।
04. कैटरिंग कार्य हेतु निविदादाता को अमानत राशि के रूप में राशि रू. 30,000/- का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी ड्रफ्ट (बी.डी./डी.डी) जो जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास कोरबा के पक्ष में जारी हुआ हो को निविदादाता निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।

05. टेन्ट एवं कैटरिन व्यवस्था हेतु निविदादाता को दो लिफाफा 'अ' और 'स' प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा प्रथम लिफाफा प्रपत्र 'अ' में तकनीकी अर्हता एवं द्वितीय लिफाफा प्रपत्र 'स' में वित्तीय दर प्रस्तुत करना अनिवार्य है प्रपत्र 'अ' के अनुसार समस्त दस्तावेज जैसे पिछले 02 वर्ष का आयकर विवरणीय (वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15), वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी पंजीयन नम्बर, अमानत राशि रू 30,000/- (तीस हजार मात्र), वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी कर चुकता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप में स्वीकार्य होगी, चालान की प्रति मान्य नहीं होगा), एवं आवेदन शुल्क की पावती(चालान) प्रपत्र 'अ' का तकनीकी अर्हता पूर्ण करने वाले फर्मों का प्रपत्र 'स' वित्तीय दर खोला जावेगा अन्यथा नहीं ।
06. निविदा के सम्पूर्ण प्रक्रिया में जिला कलेक्टर का निर्णय बंधनकारी होगा।

  
जिला कार्यक्रम अधिकारी  
महिला एवं बाल विकास  
जिला प्रकोष्ठ-कोरबा (छ.ग.)

**प्रपत्र - (अ) जो लागू हों ✓ करें**  
**मुख्यमंत्री कन्या विवाह अन्तर्गत उपहार सामाग्री/टेंट एवं कैटरिन व्यवस्था हेतु निविदादाता**  
**का मूल जानकारी**

प्रति,

कलेक्टर,  
(महिला एवं बाल विकास विभाग)  
जिला :- कोरबा (छ.ग.)

1. फर्म का नाम एवं पता :- \_\_\_\_\_  
(मोबाईल नं. सहित) \_\_\_\_\_
2. निविदादाता का नाम एवं माबाईल नं. एवं आवेदन शुल्क की पावती(चालान) संलग्न करें। :- \_\_\_\_\_
3. फर्म का वाणिज्य कर पंजीयन क्र. व दिनांक (सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें) :- \_\_\_\_\_
4. अमानत राशि का विवरण जारीकर्ता बैंक का नाम ड्राफ्ट क्र. व दिनांक :- रू. \_\_\_\_\_
5. जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र या नगरीय निकाय से पंजीयन (सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें) :- \_\_\_\_\_
6. पिछले 02 वर्ष का आयकर विवरणीय पत्रक वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15)(सत्यापित प्रति संलग्न करें) :- \_\_\_\_\_
7. वाणिज्यकर विभाग द्वारा जारी कर चुक्ता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रमाण पत्र में सत्यापित प्रति संलग्न करें) (चालान की प्रति मान्य नहीं होगी) :- \_\_\_\_\_
8. निविदादाता को अधिकृत विक्रेता/अधिकृत सप्लायर का प्रमाण पत्र । (सत्यापित प्रति संलग्न करें) :- \_\_\_\_\_
9. किसी कार्यालय या संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया हो जानकारी दें। :- \_\_\_\_\_
10. सामाग्री का सेम्पल के साथ विवरण लिखें। :- \_\_\_\_\_

//घोषणा-पत्र//

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है । दी गई जानकारी असत्य या अपूर्ण पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के मेरी निविदा निरस्त/समाप्त की जा सकेगी ।

स्थान:-.....

दिनांक:-.....

निविदादाता के हस्ताक्षर  
निविदादाता का पूर्ण नाम:-  
(फर्म का मुहर सहित)

टीप :- इस प्रपत्र को लिफाफा (अ) के अंदर वॉछित जानकारी के साथ रखा जावे।

प्रपत्र - (ब)

मुख्यमंत्री कन्या उपहार, श्रृंगार सामाग्री हेतु वित्तीय दर प्रपत्र

प्रति,

कलेक्टर,

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

कोरबा (छ.ग.)

आपके कार्यालय से जारी निविदा दिनांक ..... हेतु मेरे/हमारे फर्म से दरे निम्नानुसार है:-

क्र.	सामाग्री का विवरण	कुल दर रू.
1.	<b>कपड़ा एवं श्रृंगार सामाग्री का विवरण</b>	
	1 पैजामा सफेद/क्रीम कलर (नाड़ा सहित),	
	1 फुल आस्तीन कुर्ता सफेद/क्रीम,	
	1 पीले रंग का दुल्हा साफा,	
	1 दुल्हा पगड़ी लाल रंग	
	1 सफेद नेपकीन जेन्ट्स,	
	1 सफेद नेपकीन लेडीस	
	1 दुल्हन साड़ी(लाल/मेहरून)	
	1 पेटिकोट नाड़ा सहित मध्यम साईज	
	1 सिला हुआ ब्लाउज मध्यम बटन सहित	
	1 गाउन सहित चुनरी	
	1 जोड़ी लेडिज चप्पल सूती मोजा सहित	
	1 जोड़ी जेन्टस् जूता सूती मोजा सहित	
	1 चांदी का मंगलसूत्र(75 टंच का)	
	1 वर मौर मुकुट	
	1 वधु मौर मुकुट	
	12 नग चुड़ी	
	100 एमएल का कोकोनट पैराशुट आयल	
	1 पैकेट सिन्दुर	
	100 ग्राम का ब्रान्डेड फेस पाऊडर	
	1 गन कंघी	
	2 नग फलवारी क्लीप	
	1 बेनी-बक्कल	
	1 सेप्टी पिन	
	1 लिप्सटिक लाल रंग	
	1 पत्ता लालबिंदी,	

	1 सीसी नेल पॉलिस ब्रान्डेड कम्पनी	
	75 ग्राम का फेस क्रीम ब्रान्डेड	
	100 ग्राम आलता	
	2 नग कोन मेंहदी	
	1 काजल डिबिया	
	1 श्रृंगार बाक्स दर्पण युक्त	
		कुल योग:-
<b>उपरोक्तानुसार समाग्रियों का शासन द्वारा निर्धारित दर 2500/- मात्र है</b>		
2.	<b>अन्य समाग्री का विवरण :-</b>	
	1 नग सूटकेस(साईज 22 इंच)	
	1 सेट क्वाटर्ज (पेयर) कलाई घड़ी बैटरी सहित	
	1 नग टार्च बैटरी सहित	
	1 नग गद्दा रूई का (3X6)	
	2 तकिया (2X1)	
	1 कॉटन रंगीन चादर (3 X6)	
	1 नग टेबल पंखा - 16 इंच ब्रान्डेड कम्पनी तीन पत्ती वाली	
		कुल योग:-

**//घोषण-पत्र//**

मैंने/हमने उपरोक्तानुसार निविदा के शर्तों को भली भांती से पढ़ लिया है जो कि मेरे जानकारी के अनुसार पूर्ण एवं सत्य है । मेरे द्वारा प्रस्तुत दर पर सभी प्रकार के कर सम्मिलित है इसके अलावा अन्य कोई दावा मेरे/हमारे द्वारा नहीं किया जावेगा ।

स्थान:-.....

दिनांक:-.....

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम:-

(फर्म का मुहर सहित)

**टीप :- इस प्रपत्र को लिफाफा (अ) के अंदर उपरोक्त वॉछित जानकारी/दरों के साथ रखा जावे।**



प्रपत्र - (स)

मुख्यमंत्री कन्या विवाह अन्तर्गत टेंट एवं कैटरिंग कार्य हेतु वित्तीय प्रपत्र

प्रति,

कलेक्टर,

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

कोरबा (छ.ग.)

आपके कार्यालय से जारी निविदा दिनांक ..... हेतु मेरे/हमारे फर्म से दरें निम्नानुसार हैं:-

क्र.	सामग्री का विवरण	कुल दर रू.
01.	<u>टेंट एवं कैटरिंग व्यवस्था का विवरण:-</u>	
	मेट	
	पर्दा,	
	कुलर,	
	फ्लावर डेकोरेशन	
	5 नग सोफा कुशन सहित	
	कुर्सी	
	टेबल कलाथ सहित	
	विवाह बेदी एक लोटा एवं बाल्टी सहित	
	साऊन्ड सिस्टम कार्डलेस-माईक सहित की व्यवस्था	
	फोटोग्राफर फोटो सहित	
	बैड पार्टी	
	फटाका,	
	वर माला (प्रति जोड़े 02 नग)	
	कन्या, वर सहित प्रति जोड़े 20 परिजनों के लिए नाश्ते व सुपाच्य व ताजी भोजन तथा चाँवल, दाल, सब्जी, मिठी बूंदी लड्डू(प्रति व्यक्ति 02 नग) चटनी, पापड़, अचार, पेयजल इत्यादि आगन्तुकों के लिए नाश्ता, पेयजल,	
	नास्ता भोजन की सप्लाई एवं परोसने की व्यवस्था	
		योग:-
	<b>उपरोक्तानुसार समाग्रियों का शासन द्वारा निर्धारित दर 2250/- मात्र है</b>	

//घोषणा-पत्र//

मैंने/हमने उपरोक्तानुसार निविदा के शर्तों को भली भाँती से पढ़ लिया है जो कि मेरे जानकारी के अनुसार पूर्ण एवं सत्य है। मेरे द्वारा प्रस्तुत दर पर सभी प्रकार के कर सम्मिलित है इसके अलावा अन्य कोई दावा मेरे/हमारे द्वारा नहीं किया जावेगा।

स्थान:-.....

दिनांक:-.....

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम:-

(फर्म का मुहर सहित)

टीप :- इस प्रपत्र को लिफाफा (स) के अंदर वॉछित जानकारी/दरों के साथ रखें।